CANCELLED. CANCELLED.

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल केम्प सागर

18 MAY 2018

नानकराम आयु ४६ वर्ष आत्मज् श्री कन्हैयालाल पुरूषवानी

भाऊ टी स्टाल, ५ सिविल लाईन सागर तहसील व जिला सागर

.............पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध निगरानी-3298/2018/सागर/

अविनाश मोहन दुबे वल्द सुरेन्द्र मोहन दुबे

निवासी रविशंकर वार्ड सागर

.... उत्तरवादी

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा ५० म.प्र. भू राजस्व संहिता १६५६।

पुनरीक्षणकर्ता अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् अपर कमिश्नर महोदय जिला सागर संभाग सागर द्वारा राजस्व प्र.क्र. ८६६ बी/१२१ वर्ष २०१६ - २०१७ ग्राम रजाखेड़ी सागर तहसील व जिला सागर में पारित आदेश दिनांक १६/०४/२०१८ से दुःखित होकर नीचे लिखे तथ्यों के अतिरिक्त आधारों पर पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

१. यह कि आवेदक/उत्तरवादी अविनाश मोहन ने दिनांक २७/०७/२०१३ को कब्जा हटाने बावत् आवेदन पत्र अधीनस्थ तहसीलदार सागर के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसमें उसने अनावेदक क्रमांक १ उमेश राठौर एवं शान्ता ख्यानी को पक्षकार बनाया धा । उक्त आवेदन में यह बताया गया था कि खसरा नम्बर २३६/१३ में से १५ गुणित ४० कुल ६०० वर्गफुट आवेदक के नाम से दर्ज है । आवेदक के प्लाट पर अनावेदक जबरन कब्जा कर मकान बनाया है । प्लाट आवेदक का है जो अनावेदक ने जबरन कब्जा किया गया है उसको हटाने की कृपा करें । उक्त आवेदन पत्र **अनेक्चर ए-१** है ।

२. यह कि अनावेदक/पुनरीक्षणकर्ता ने प्रकरण में अपना जवाब प्रस्तुत कर आवेदन पत्र के

(8)

निगरानी / 3298 / 2018 / सागर / मु०रा०

15-6-18

14-06-18

आवेदक अभि०श्री रामराज सिंह ठाकुर उपनि० उनके द्वारा बताया गया कि अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 19-4-18 के विरुद्ध एक और प्रकरण ग्वालियर में प्रस्तुत किया गया है जिसका क्र० R-3137/2018/सागर जिसमें स्थगन जारी किया गया है एवं पेशी दिनांक 8-8-18 नियत है इस कारण निगरानी कर्ता इस प्रकरण को आगे चलाना नही चाहता है। निवेदन स्वीकार किया जाता है।

अत: प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।

सदस्य

Received Siddharth 15/6/18